प्रेषक,

जिलाधिकारी
फतेहपुर

सेवा में,

निदेशक
सूचना, उ0 प्र0 लखनऊ।

पत्रांक 1179/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024–2025 दिनांक 26/07/2024

विषयः **प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्र को ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र व्यवस्थित किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश–781/86–2020–14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 के अनुपालन में जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू/ मोरम के खनन क्षेत्र को ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र व्यवस्थित किये जाने हेतु ई–टेण्डर आमंत्रण हेतु पत्रांक 1178/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024–2025 दिनांक 26/07/2024 की प्रति सी0डी0 सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आमंत्रण की सूचना को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त उसकी प्रति खनिज कार्यालय फतेहपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

25/7

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1178/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024–2025 दिनांक 26/07/2024

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के 04 रिक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–781/86–2020–14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 मे दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई–निविदा डालने की तिथि 05/08/2024 से 13/08/2024 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्रों के लिए पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:–

क्र.सं.	तहसील	ग्राम व नदी व बीएसआर एरिया कोड	खण्ड संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	सीमायें		जियो–कोआर्डिनेट्स			दर (प्रति घनमीटर में)	[illegible] (घनमीटर में)	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
1.	फतेहपुर	अढ़ावल (यमुना नदी) 2162550203	खण्ड सं0–ए–11 गाटा सं0–250मि, 249, 236मि, 240मि, 241मि, 227मि, 229मि, 219मि, 212मि, 220मि, 225, 222, 221, 224, 223, 226, 244, 245, 242, 252भाग, 253, 256, 251भाग, 243, 246, 248, 247	25.00	उत्तर	222, 223, 245, 249, 247, 250 प्रत्येक का शेष भाग	A	N-25°-49.917'	E-80°-29.248'	150	125000	18750000	9375000
					दक्षिण	239, 240, 241, 227, 229, 219, 212 प्रत्येक का शेष भाग	B	N-25°-49.963'	E-80°-29.633'				
					पूरब	202, 196, 194	C	N-25°-50.136'	E-80°-29.649'				
					पश्चिम	252, 253, 255 एवं 256	D	N-25°-50.145'	E-80°-29.228'				
2.	फतेहपुर	रामनगर कौहन (यमुना नदी) 1570760202	खण्ड सं0–आर0के0–1 गाटा सं0–144 का भाग आदि, 40, 36, 32, 66, 5	34.81है0	उत्तर	ग्राम रामनगर कौहन की एहतमाली भूमि	A	N-25°-40.882'	E-80°-52.780'	150	107982	16197300	8098650
							A1	N-25°-40.877'	E-80°-52.733'				
							A2	N-25°-40.840'	E-80°-52.735'				
							A3	N-25°-40.860'	E-80°-52.439'				
							A4	N-25°-40.906'	E-80°-52.128'				
					दक्षिण	यमुना नदी	B	N-25°-41.012'	E-80°-51.798'				
					पूरब	गाटा संख्या–73 व अन्य गाटा संख्यायें	C	N-25°-40.881'	E-80°-51.738'				
							C1	N-25°-40.740'	E-80°-52.055'				
					पश्चिम	खण्ड सं0 आर0के0–1 बी	D	N-25°-40.800'	E-80°-52.082'				
							E	N-25°-40.803'	E-80°-52.230'				
							E1	N-25°-40.765'	E-80°-52.230'				
							F	N-25°-40.781'	E-80°-52.508'				
							F1	N-25°-40.795'	E-80°-52.678'				
							G	N-25°-40.812'	E-80°-52.786'				
3.	फतेहपुर	उरौली (यमुना नदी) 2162660201	खण्ड सं0–उरौली की गाटा संख्या–64 से 69 तक 83 से 91 तक, 106 से 112तक, 116 से 121 तक, 141से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक,	60.00	उत्तर	ग्राम उरौली का शेष भाग	A	N-25°-48.373'	E-80°-28.624'	150	187500	28125000	14062500
							B	N-25°-48.440'	E-80°-28.780'				
							C	N-25°-48.273'	E-80°-28.969'				
							D	N-25°-48.129'	E-80°-29.166'				
							E	N-25°-47.9233'	E-80°-29.4481'				
					दक्षिण	यमुना नदी का शेष भाग	F	N-25°-47.903'	E-80°-29.833'				
					पूरब	ग्राम सौंधी बसौली	G	N-25°-47.622'	E-80°-29.773'				
							H	N-25°-47.842'	E-80°-29.386'				
							I	N-25°-48.033'	E-80°-29.087'				
							J	N-25°-48.207'	E-80°-28.880'				
							K	N-25°-48.363'	E-80°-28.693'				

			301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423 तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक 577 से 579 तक, 585, 586—		पश्चिम	सीमा ग्राम अढ़ावल	L	N-25°-48.499	E-80°-28.329				
4.	फतेहपुर	कोर्राकनक (यमुना नदी) 2162620202	खण्ड सं०—कोर्राकनक कम्पोजिट की गाटा संख्या—389, 391	30.00	उत्तर	गाटा संख्या—389 का शेष भाग व काश्तकारी भूमि	A	N-25°-43.915	E-80°-34.435	150	135476	20321400	10160700
					दक्षिण	गाटा संख्या—391 का शेष भाग	B	N-25°-43.582	E-80°-34.665				
					पूरब	गाटा संख्या—391 का शेष भाग	C	N-25°-43.368	E-80°-34.520				
					पश्चिम	गाटा संख्या—389, 391 का शेष भाग व 390	D	N-25°-43.760	E-80°-34.275				

ई—निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी आनलाइन "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर व किसी भी कार्यदिवस मे समय 10.00बजे से 5.00बजे तक खनिज कार्यालय फतेहपुर से प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1178/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024–2025 दिनांक 26/07/2024

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के 04 रिक्त/उपलब्ध क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–781/86–2020–14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 मे दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई–निविदा डालने की तिथि 05/08/2024 से 13/08/2024 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्रों के लिए पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:–

क्र सं	तहसील	ग्राम व नदी व डीएसआर एरिया कोड	खण्ड संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है० में)	सीमायें		जियो–कोआर्डिनेट्स			दर (प्रति घनमी० में)	खनन योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमी० में)	वार्षिक मूल्य (दर x निर्धारित/आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (वार्षिक मूल्य का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
1.	फतेहपुर	अढ़ावल (यमुना नदी) 2162550203	खण्ड सं0–ए–11 गाटा सं0–250मि, 249, 239मि, 240मि, 241मि, 227मि, 229मि, 219मि, 212मि, 220मि, 225, 222, 221, 224, 223, 226, 244, 245, 242, 252भाग, 253, 256, 251भाग, 243, 246, 248, 247	25.00	उत्तर	222, 223, 245, 249, 247, 250 प्रत्येक का शेष भाग	A	N-25°-49.917'	E-80°-29.248'	150	125000	18750000	9375000
					दक्षिण	239, 240, 241, 227, 229, 219, 212 प्रत्येक का शेष भाग	B	N-25°-49.963'	E-80°-29.633'				
					पूरब	202, 195, 194	C	N-25°-50.136'	E-80°-29.649'				
					पश्चिम	252, 253, 255 एवं 256	D	N-25°-50.145'	E-80°-29.228'				
2.	फतेहपुर	रामनगर कौहन (यमुना नदी) 1570760202	खण्ड सं0–आर0के0–1 गाटा सं0–144 का भाग आदि, 40, 36, 32, 66, 5	34.8160	उत्तर	ग्राम रामनगर कौहन की एहतमाली भूमि	A	N-25°-40.882'	E-80°-52.780'	150	107982	16197300	8098650
							A1	N-25°-40.877'	E-80°-52.733'				
							A2	N-25°-40.840'	E-80°-52.735'				
							A3	N-25°-40.860'	E-80°-52.439'				
							A4	N-25°-40.906'	E-80°-52.128'				
					दक्षिण	यमुना नदी	B	N-25°-41.012'	E-80°-51.798'				
					पूरब	गाटा संख्या–73 व अन्य गाटा संख्यायें	C	N-25°-40.881'	E-80°-51.738'				
							C1	N-25°-40.740'	E-80°-52.055'				
					पश्चिम	खण्ड सं0 आर0के0–1 बी	D	N-25°-40.800'	E-80°-52.082'				
							E	N-25°-40.803'	E-80°-52.230'				
							E1	N-25°-40.765'	E-80°-52.230'				
							F	N-25°-40.781'	E-80°-52.508'				
							F1	N-25°-40.795'	E-80°-52.678'				
							G	N-25°-40.812'	E-80°-52.786'				
3.	फतेहपुर	उरौली (यमुना नदी) 2162560201	खण्ड सं0–उरौली की गाटा संख्या–64 से 69 तक 83 से 91 तक, 108 से 112तक, 115 से 121 तक, 141से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक,	50.00	उत्तर	ग्राम उरौली का शेष भाग	A	N-25°-48.573'	E-80°-28.624'	150	187500	28125000	14062500
							B	N-25°-48.440'	E-80°-28.780'				
							C	N-25°-48.273'	E-80°-28.969'				
							D	N-25°-48.129'	E-80°-29.166'				
							E	N-25°-47.924'	E-80°-29.447'				
					दक्षिण	यमुना नदी का शेष भाग	F	N-25°-47.705'	E-80°-29.835'				
					पूरब	ग्राम सीमा दसौली	G	N-25°-47.622'	E-80°-29.775'				
							H	N-25°-47.842'	E-80°-29.386'				
							I	N-25°-48.055'	E-80°-29.087'				
							J	N-25°-48.207'	E-80°-28.880'				
							K	N-25°-48.363'	E-80°-28.693'				

			301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 396 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423 तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 506 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक 577 से 579 तक, 585, 586–		पश्चिम	सीमा ग्राम अढ़ावल	L	N-25°-48.490	E-80°-38.329				
4.	फतेहपुर	कोर्राकनक (यमुना नदी) 2162620202	खण्ड सं0–कोर्राकनक कम्पोजिट की गाटा संख्या–389, 391	30.00	उत्तर	गाटा संख्या–389 का शेष भाग व काश्तकारी भूमि	A	N-25°-43.915	E-80°-34.435	180	136476	20321400	10160700
					दक्षिण	गाटा संख्या–391 का शेष भाग	B	N-25°-43.582	E-80°-34.665				
					पूरब	गाटा संख्या–391 का शेष भाग	C	N-25°-43.368	E-80°-34.520				
					पश्चिम	गाटा संख्या–389, 391 का शेष भाग व 390	D	N-25°-43.760	E-80°-34.275				

1. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम् 06 माह के लिए होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा व पुनः पूर्ति मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री–बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिलाधिकारी–फतेहपुर के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:–
   (क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
   (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
   (ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
   (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:–

प्रारूप–2 की सूचनायें:–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0नम्बर।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ङ. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2,000/– का चालान संख्या व दिनांक।

च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

छ. पैन कार्ड का क्रमांक।

ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहाँ से जारी किया गया हो।

झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :–

क. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 2,000/– का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग. पैन कार्ड।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।

ङ. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7. विज्ञप्ति के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16/08/2024 अपराह्न 04:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 14/08/2024 समय सायं 5:00 बजे तक खनिज कार्यालय, फतेहपुर में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति खनिज कार्यालय, फतेहपुर में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा।

11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

12. प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 देय होगा।

13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा–पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

15. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज का अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।

17. अनुज्ञाधारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमाकंन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जियोकोर्डिनेट भी इंगित किया जायेगा तथा नियम–36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

18. चयनित अनुज्ञाधारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

19. अनुज्ञाधारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार पी0टी0जेड सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

20. अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

21. अनुज्ञाधारक अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

22. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

23. नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा एवं अन्य किसी भी माध्यम से खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

24. ई–निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व खनन संक्रिया की साध्यता के विषय में मौके का स्वयं निरीक्षण कर ई–निविदादाता अवश्य ही आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में प्रतिभाग करने का स्पष्ट आशय है कि ई–निविदा हेतु विज्ञापन में दर्शित खनिज की मात्रा, खनन क्रिया की साध्यता, खनन स्थल तक पहुँच मार्ग की उपलब्धता आदि के विषय में बिडर को कोई आपत्ति नहीं है।

25. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहॉ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

26. यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों, खनन अनुज्ञा पत्र, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

27. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाधारक द्वारा किया जायेगा।

28. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञाधारक को मान्य होगा।

29. सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

30. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी, फतेहपुर एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा उचित समझी जायेगी उसे लागू किया जायेगा, जो पट्टाधारक को मान्य होगी।

31. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेश, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के सभी नियम तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

32. ई–निविदादाता द्वारा टेण्डर प्रक्रिया मे किसी भी प्रकार से Fraud एवं Cartelization तथा Fair bidding process को प्रभावित करने की दशा मे उसके द्वारा जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष मे समपहृत करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नही होगा।

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

पत्रांक 1170/खनिज/2024–2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फतेहपुर/प्रभारी अधिकारी खनिज।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद फतेहपुर को को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9. सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, फतेहपुर को etenders.up.nic.in पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बिन्दकी फतेहपुर।
12. अध्यक्ष जिला पंचायत, खागा/किशनुपर/बहुआ/कोड़ा जहानाबाद/हथगॉम/असोथर/कारीकान धाता/खखरेरू।
13. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, फतेहपुर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

26. यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों, खनन अनुज्ञा पत्र, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

27. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाधारक द्वारा किया जायेगा।

28. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञाधारक को मान्य होगा।

29. सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

30. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी, फतेहपुर एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा उचित समझी जायेगी उसे लागू किया जायेगा, जो पट्टाधारक को मान्य होगी।

31. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेश, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के सभी नियम तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

32. ई–निविदादाता द्वारा टेण्डर प्रक्रिया मे किसी भी प्रकार से Fraud एवं Cartelization तथा Fair bidding process को प्रभावित करने की दशा मे उसके द्वारा जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष मे समपहृत करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नही होगा।

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

पत्रांक 1178 /खनिज/2024–2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फतेहपुर/प्रभारी अधिकारी खनिज।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद फतेहपुर को को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9. सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, फतेहपुर को etenders.up.nic.in पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बिन्दकी फतेहपुर।
12. अध्यक्ष जिला पंचायत, खागा/किशनुपर/बहुआ/कोड़ा जहानाबाद/हथगॉम/असोथर/कारीकान धाता/खखरेरू।
13. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, फतेहपुर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

प्रारूप–2

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई–मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम– ड़. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या– च. क्षेत्रफल(एकड़ में)–	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15.	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणाक का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि ——— बैंक का नाम व शाखा ——— ड्राफ्ट का नम्बर ———

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by BIPENDRA KUMAR RAJBHAR
Date: 2024.08.04 15:48:23 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

दिनांक:–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner